(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 30/2018-एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली,

दिनांक 31 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि.......(अ.)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 2 के समक्ष, कॉलम (2), मद (छ) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

"बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात ऐसे किसी माल परिवहन एजेंसी के द्वारा, सड़क मार्ग से गुड्स कैरिज में माल के परिवहन के रूप में -

(क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या प्रतिष्ठान; या

(ख) स्थानीय प्राधिकरण; या

(ग) सरकारी एजेंसियों,

जिन्होंने केवल धारा 51 के अंतर्गत कर में कटौती किए जाने के लिए माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) में पंजीकरण कराया हो और न कि माल या सेवाओं की कर वाली आपूर्ति करने के लिए, को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी,";

(ख) क्रम संख्या 13 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)
"14	बिजनेस फैसिलिटेटर (बीएफ) के द्वारा बैंकिंग कंपनी को दी जाने वाली सेवाएं	बिजनेस फैसिलिटेटर (बीएफ)	कोई भी कंपनी जो कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो
15	किसी बिजनैस कोरेसपोंडेंट (बीसी) के किसी एजेंट के द्वारा बिजनैस कोरेसपोंडेंट (बीसी) को दी जाने वाली सेवाएं	बिजनैस कोरेसपोंडेंट (बीसी) का एजेंट	ऐसा बिजनैस कोरेसपोंडेंट (बीसी) जो कि कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो
16	किसी पंजीकृत व्यक्ति को प्रदान की जाने वाली सुरक्षा सेवाएं (ऐसी सेवाएं जो सुरक्षा कार्मिकों की आपूर्ति करके दी गई हों) : बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात उन गार्ड की सेवाओं पर लागू नहीं होगी जो कि,-	कोई भी व्यक्ति जो कि निगमित निकाय से भिन्न हो	ऐसा कोई पंजीकृत व्यक्ति जो कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो";

	(i) (क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या प्रतिष्ठान; या (ख) स्थानीय प्राधिकरण; या (ग) सरकारी एजेंसियों, जिन्होंने केवल धारा 51 के अंतर्गत कर में कटौती किए जाने के लिए माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) में पंजीकरण कराया हो और न कि माल या सेवाओं की कर वाली आपूर्ति करने के लिए, को प्रदान की गई हो"; (ii) रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति जो कि माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 10 के अंतर्गत कम्पोजिशन स्कीम के लिए पंजीकृत हों ।		

(ii) स्पष्टीकरण में, उप वाक्य (छ), के पश्चात निम्नलिखित उपवाक्य को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:- "(ज) इस अधिसूचना के प्रावधान जहां तक ये केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों पर लागू होते हैं, संसद और राज्यों के विधान मंडल पर भी लागू होंगे ।".

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी ।

[फाइल संख्या 354/428/2018- टीआरयू]

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 10/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 685 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 16/2018-एकीकृत कर (दर) दिनांक 26 जुलाई, 2018, सा.का.नि 684 (अ.) दिनांक 26 जुलाई, 2018 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है ।